कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर

पत्रांकः शि०स०/

/2022-23 दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लखनऊ के विज्ञप्ति/विविध संख्याः 04/तीन-2023-39(1)/2002 दिनाक 19 जनवरी, 2023 के अनुक्रम में जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्याः 39/आर०ए०/2023 दिनांक 24 जनवरी, 2023 द्वारा जनपद कानपुर नगर सहित उ०प्र० के अन्य जनपदो में होने वाले विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2023 में उ०प्र० राज्य के सभी कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों हेतु बोनाफाइड मतदाता है, को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान दिवस दिनांक 30.01.2023 को विद्यालयों को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर के समस्त बोर्डों द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.01.2023 को विद्यालयों को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाता है। समस्त बोर्डों द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- उक्तवत्।

(गुन्नी लाल)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर नगर।

पृ०सं०: शि०स०/ /2022-23 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. शिक्षा निदेशक (मा०), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
3. सयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय), कानपुर नगर।
5. जनपद कानपुर नगर में समस्त बोर्डों द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापको को अनुपालनार्थ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर नगर।